झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

पंचम् झारखण्ड विधान-सभा
नवम् (मॉनसून) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 01.08.2022 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र०सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्री अनन्त कुमार ओझा स०वि०स० श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता स०वि०स०	"साहेबगंज जिला अन्तर्गत राजमहल विधान सभा क्षेत्र के साहेबगंज सदर प्रखण्ड अन्तर्गत महादेवगंज गौशाला से लेकर साहेबगंज शहर मुख्य मार्ग तक तथा राजमहल प्रखण्ड अन्तर्गत कन्हैया स्थान से लेकर राजमहल नगर पंचायत क्षेत्र के नया बाजार मोड़ तक पथ विगत ढाई वर्षो से अत्यन्त जर्जर स्थिति में हो चुकी है। स्थानीय आमजन के यातायात के साथ-साथ दूरस्थ क्षेत्रों से आवागमन करने वाले यात्रियों को भी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। यह पथ पूर्व में NH-80 के नाम से जाना जाता था जिसका NHAI. के द्वारा अन्य मार्ग में रेखांकित कर दिया गया है। उक्त पथों का अविलम्ब PWD. से निर्माण कराया जाय। यह पथ एक और सीमावर्त्ती राज्य बिहार तथा दूसरी ओर पश्चिम बंगाल को जोड़ता है, इसलिए यह पथ और भी महत्त्वपूर्ण हो जाता है।" अतः सदन के माध्यम से सरकार से माँग करता हूँ कि उक्त वर्णित पथों को अविलम्ब निर्माण हेतु पथ प्रमण्डल, पथ निर्माण विभाग, साहेबगंज से कराने हेतु स्वीकृति दी जाय। इस ओर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	पथ निर्माण

01.	02.	03.	04.
02-	श्री रामचन्द्र सिंह स०वि०स०	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा वर्ष 2017 में इंदिरा गाँधी आवासीय विद्यालय तथा नेतरहाट आवासीय विद्यालय के तर्ज पर दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डलीय बालिका आवासीय विद्यालय, बुण्डू (राँची) खोला गया जिसमें नामांकन झारखण्ड अधिविद्य परिषद् (JAC) के माध्यम से कक्षा-6 में प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा लेकर लिया जाता है। सत्र 2020-21 में भी उक्त विद्यालय में नामांकन हेतु जैक की अधिसूचना सं0-17/2020 प्रकाशित कर प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से पूरे झारखण्ड प्रदेश के 74 छात्राओं का चयन किया गया जिसका नामांकन एक सत्र बीत जाने के बाद भी आज तक उक्त विद्यालय द्वारा नहीं लिया गया और ना ही इस संदर्भ में अभिभावक एवं छात्राओं को सूचना दी गई जबकि इस विद्यालय के साथ खुले अन्य आवासीय विद्यालयों में पठन-पाठन की प्रक्रिया सुचारू रूप से जारी है। अतः उपरोक्त संदर्भ में जैक द्वारा सत्र 2020-21 के लिए चयनित सभी 74 छात्राओं का नामांकन दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डलीय बालिका आवासीय विद्यालय बुण्डू में लेने हेतु अग्रेतर कार्रवाई करने संबंधी सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करता हूँ।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता
03-	प्रो0 स्टीफन मराण्डी स०वि०स०	महेशपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत पाकुड़ जिला के महेशपुर एवं पाकुड़िया प्रखण्डान्तर्गत कुल- 51 पंचायतों (महेशपुर-33, पाकुड़िया-18) के कुल- 465 गाँवों (महेशपुर-316, पाकुड़िया-149) में विशेष मरम्मति नहीं होने के कारण एवं सड़े राइजर पाईप के कारण कुल- 479 डी0टी0,जी0पी0टी0 एवं अन्य नलकूप वर्षों से बंद पड़े है। फलतः अधिकतर आदिवासी बहुल कमजोर तबके के ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और वहाँ के निवासियों को विभिन्न प्रकार के रोगों का शिकार होना पड़ता है जो सच में "जल ही जीवन है" के स्थापित सत्य के लिए एक चुनौती है।	पेयजल एवं स्वच्छता

क्र0पृ0उ0-

01.	02.	03.	04.
		अतः मैं जनहित में बंद पड़े नलकूपों की अविलम्ब मरम्मत करवाते हुए ग्रामीणों को समुचित स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	
04–	श्री प्रदीप यादव स०वि०स०	"उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प-वि०प्रा०-22/01-02, 2890 राँची, दिनांक-11.12.2015 के आधार पर 17 सरकारी Polytechnic College में अंशकालीन व्याख्याताओं की बहाली 400 रू० प्रति घंटी के आधार पर हुई है और सभी अंशकालीक व्याख्याता विगत कई वर्षों से कार्यरत है। इन सभी कार्यरत व्यख्याताओं को नियम के प्रतिकूल प्रत्येक वर्ष Interview के माध्यम से छटनी की जाती है और College प्रबंधन अपने मनोकुल अल्पकालीन नियुक्ति करता है। माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड के आदेश सं०-WP(S) N0- 3483 of 2011 में स्पष्ट आदेश है कि "Part time Lecturers, who have already been working cannot be forced to apply a fresh impugned advertisement dated 11.06.2011 an arbitrary condition has been imposed in clause who have been already working as such appointment of adhocpart time lecturer. The clause- 7 is wholly arbitrary and offends the aforesaid decision of the Supreme Court and same is hereby quashed. It is made clear that if the petitioners are working as part time Lecturers in the same subjects, they can not be forced to appear in the test for selection of Part time Lecturers in the same subjects and in the same Institutions." माननीय Supreme Court का भी आदेश सं०-AIR 1992 SC 2130 है कि Part Time Lecturer को हटा नहीं सकते जब तक कि स्थायी बहाली नहीं होती है।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा

01.	02.	03.	04.
		अतः प्राचार्य के नियम विरूद्ध इस तरह की बहाली पर अविलम्ब रोक लगायी जाय। साथ ही जिन लोगों में Interview के माध्यम से पूर्व से कार्यरत Part-time Lecturers को हटाने का कार्य किया है उनके विरूद्ध कठोर कार्रवाई किया जाय इस विषय पर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	
05-	श्री कमलेश कुमार सिंह स0वि0स0	पलामू जिला अंतर्गत वर्ष 1980-81 में किया गया सर्वे को वर्ष- 2016-17 में मात्र 5 अंचलों में क्रमशः हुसैनाबाद, हैदरनगर, मोहम्मदगंज, हरिहरगंज व पिपरा का खतियान बतौर ट्रायल ऑनलाईन किया गया था। लेकिन पाँचों अंचलों के ऑनलाईन खतियान में काफी त्रुटियाँ पाई गई है। फलस्वरुप वहाँ के रैयतों के बीच भूमि विवाद का मामला गहराता जा रहा है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक- 448/नी0 दिनांक- 07.09.2021 के द्वारा उक्त पाँचों अंचलों में भी री-सर्वे कराने की बात कही गई है। अतः मैं पलामू जिले के हुसैनाबाद, हैदरनगर, मोहम्मदगंज, हरिहरगंज व पिपरा अंचल में री-सर्वे कराने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार

राँची,
दिनांक- 01 अगस्त, 2022 ई0।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-प्र0ध्या0-39/2022-2021/वि0 स0, राँची, दिनांक- 30/07/22

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, राँची/ सचिव पथ निर्माण विभाग/सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग/सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग/सचिव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग एवं सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/7/22

(एस0 शिराज वजीह बंटी)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-प्र0ध्या0-39/2022-2021/वि0 स0, राँची, दिनांक- 30/07/22

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

30/7/22

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

30/07/22

सुभाष/-